

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी सरगोठ वगैरह		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी कुचामनसिटी


प्रार्थना-पत्र - बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

प्रार्थना-पत्र नम्बर 2 / 2020 RCMS No. 2020/00003

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

13.01.2020

प्रार्थी वकील द्वारा यह प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण्य क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 12.02.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 907 रकबा 0.68 हैक्टर में अप्रार्थीगण 1 एवं 2, प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग में कोई दखल नही करे न ही प्रार्थीगण को बेदखल करे एवं न ही इस खसरे के चारों ओर कोई दीवार कायम करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2020 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

12/2/2020 वकील द्वारा उपर्युक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण के कब्जे में कोई दखल नही करे न ही प्रार्थीगण को बेदखल करे एवं न ही इस खसरे के चारों ओर कोई दीवार कायम करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2020 को पेश हो।

20/2/2020 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य . अवकाश से बाहर रहना हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11/3/2020 को पेश हो



11/3/2020 वकील द्वारा उपर्युक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण के कब्जे में कोई दखल नही करे न ही प्रार्थीगण को बेदखल करे एवं न ही इस खसरे के चारों ओर कोई दीवार कायम करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 11/3/2020 को पेश हो।

18/3/2020 वकील द्वारा उपर्युक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रार्थीगण के कब्जे में कोई दखल नही करे न ही प्रार्थीगण को बेदखल करे एवं न ही इस खसरे के चारों ओर कोई दीवार कायम करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 18/3/2020 को पेश हो।

18/3/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 16/4/2020 को पेश है

Cosmanupus

16/4/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 30/6/2020 को पेश है

Cosmanupus

30/6/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 13/8/2020 को पेश है

Cosmanupus

13/8/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 16.9.2020 को पेश है

Cosmanupus

16/9/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 5/11/2020 को पेश है

Cosmanupus

05/11/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 22.12.2020 को पेश है

Cosmanupus

22/12/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 16.02.2021 को पेश है

Cosmanupus

16/2/2021

पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड
अधिकारी राजकार्य, अवकाश से बाहर पधार
हैं। अतः पत्रावली दिनांक 8/4/2021 को पेश है

Cosmanupus

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.....

नं) 2/2000 गन्दासिंह बाणस्य 7 राज. फ. 1000

तारीख हुक्म	सुरकोट हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज Remy. 2020/00003	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
----------------	---	--

08/11/2020 पकील पार्सी उपर एक पत्रिका बच्च
 हुकी गरी पत्रिका पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि
 का इकलौतान किया गया। उपर हुक्म मागला,
 कोविदा का दस्तावेज एवं इत्यादि सभी तीनों किस्म
 पत्रिका के परा में जारी किये हैं। अतः इत उपलब्ध
 सब पत्रिका इत्यादि कलपाई किये जाय 13.01.2020 को
 ता फेदला नद पुठरा किया जाय है। पत्रिका
 फेदला पुठरा केकर गकर ले एक सेचर वाकिम
 इत्यादि है।

आदेश आल दिनांक 08/11/2020 को
 दावे उपलब्ध इत्यादि गला।



(साइलाम पार) R.M.S.
 उपखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (नागौर)